Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
Volume-13, Issue-1, June 2019
Impact Factor: 4.081
www.researchguru.net

भारतीय ग्रामीण शासन व्यवस्था–गाँधीवादी दर्शन

डॉ० सीमा द्विवेदी

अतिथि प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर (छ०ग०)
Email:seemadwivedi4343@gmail.com

सारांश :–

महात्मा गाँधी आधुनिक भारत के उन चिन्तकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्होंने भारत वर्ष की बौद्विक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं से प्रेरणा ली और उन्हें समकालीन वास्तविकताओं से जोड़ने का प्रयास किया। यही कारण`है कि गाँधीं जी के राजनीतिक चितंन में भारत के प्राचीन आर्दश एवं पाश्चात्य जगत् के अराजकतावादी दर्शन का समन्वय दृष्टिगत् होता हैं। इस समन्वय या गाँधींवाद की स्पष्ट व्याख्या हिन्द–स्वराज्य में मिलती हैं,जिसकी रचना गाँधींजी ने 1908 में की थीं। हिन्द– स्वराज्य गाँधीवाद का सार हैं। इसमें अभिव्यक्त गाँधी जी के विचारों में आजीवन कोई परिवर्तन नहीं आया। स्वयं गाँधीजी ने 1939 में स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि इस पुस्तक का सावधानीपूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद वे इस निर्ष्कष पर पहुचें कि उसमें अभिव्यक्त विचारों में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं हैं। हिन्द–स्वराज्य में अभिव्यक्त अराजकतावादी विचारधारा से गाँधीजी जीवनपर्यन्त प्रभावित रहे। हिन्द–स्वराज्य में पाश्चात्य सभ्यता की देनों को अस्वीकार किया गया हैं। यही कारण हैं कि इसमें पाश्चात्य संस्कृति, व्यवस्थाओं तथा संगठन के स्वीकार्य पहलुओं के वर्णन के साथ ही उनके दोषों ,कमियेां एवं त्रुटियों की कड़ी आलोचना अभिव्यक्त की गयी हैं। पाश्चात्य जगत् के चिन्तनधारा से प्रभावित राज्य के स्वरूप को अस्वीकार करते हुए ऐसी आर्दश व्यवस्था को अपना आर्दश माना जिसमें अहिंसा ,स्वतंत्रता और समानता का अधिकतम प्रयोग संभव होगा। इस आर्दश व्यवस्था का नाम गाँधीजी ने राम राज्य दिया। रामराज्य का वास्तविक आर्दश उनके भावी भारत का आर्दश रूप था। ऐसा रामराज्य तभी संभव है जबकि सरकार या राज्य का हस्तक्षेप न हो। सरकार या राज्य का अंकुश या नियंत्रण हिंसा को बढ़ावा देता है। गाँधींजी अपनी आर्दश–व्यवस्था में हिंसा का समावेश नहीं चाहते थे।

गाँधीजी का रामराज्य अराजकतावादी दार्शनिकों की आर्दश व्यवस्था के अनुरूप था। यह एक ऐसी स्वचालित व्यवस्था होगी जिसमें किसी तरह का भी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा राजनैतिक दबाब नहीं होगा। इस दिशा में वह चाहते थे कि सत्ता का अधिकतम विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाये।

कुंजी शब्द :– रामराज्य, स्वचालित–व्यवस्था, अराजकतावादी, विकेन्दीयकरण, आर्दश व्यवस्था।

शोध–प्रविधि :– इसमें प्रमुखतःदो प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया हैं, :–

(1) प्राथमिक स्त्रोत (2) द्वितीयक स्त्रोत।

गाँधीं जी के आदर्श राज्य सर्वोदय समाज की विचारधारा से अनुप्राणित था, जिसकी प्रमुख धारणा थी 'सब लोगों का सुख'। यह विचारधारा पाश्चात्य उपयोगियतावादी विचारकों के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के विकल्प में गाँधींवादीं प्रावधान था। गाँधींवादी अहिंसक सर्वोदयी समाज रचना में सारा अभिक्रम पंचायतों जैसी समाज की

छोटी–छोटी इकाईयों के हाथ में होना चाहिए जिससे उन्हें स्वावलम्ब का अवसर मिले और वे स्वतंत्रता का उत्साह अनुभव कर सकें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में ही उसका मानसिक व बौद्विक विकास हुआ हैं। गाँधीजी ने राज्यरहित आर्दश समाज की कल्पना की थी। परन्तु, वर्तमान सरकार कानून बनाकर सामाजिक एकता के लिए आवश्यक कर्त्तव्य निश्चित करती हैं और नागरिकों को सजा के डर से इन कर्त्तव्यों का पालन करना पडता हैं। प्राचीन भारत के गाँवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का संचालन अधिकतर नीति–भावना के द्वारा ही होता था। वर्णाश्रम–धर्म इसका एक आवश्यक अंग था। प्राचीन भारत के गाँव के लोगों का जीवन अधिकतर स्वतः संचालित था। ये गाँधीजी की धारणा के आर्दश अराजकतावादी समाज से कुछ–कुछ मिलते जुलते थे। सन् 1916 में मद्रास मिशनरी कान्फ्रें में उन्होंने कहा था, ”स्वदेशी भावना के अनुसार,मैं हिन्दुस्तानी संस्थाओं को देखता हूँ।तो ग्राम–पंचायतें मुझें आकृष्ट करती हैं। हिन्दुस्तान वास्तव में एक जनतंत्रवादी देश है – – – ।[1] “

गाँधीजी के अनुसार –अहिंसा पर आधारित सभ्यता भारत के ग्राम–रूपी गणराज्यों द्वारा संभव है। अपनी इस मान्यता को स्वदेशी के माध्यम से समझाते हुए,गाँधींजी ने कहा–स्वदेशी की मान्यता प्रदान करता हूँ। भारत वास्तव में गणतांत्रिक देश हैं। यही कारण हैं कि हर प्रकार के आधार के बावजूद हमारा देश जीवित रहा हैं। [2]

सन् 1931 में नैनीताल के दौरे के समय गाँधीजी को उस क्षेत्र की पंचायतों के बारे में बताया गया, किन्तु गाँधीजी ने असतोष प्रकट किया। 28 मई, 1931 को ‘यंग इंड़िया’ में लिखते हुए उन्होंने बताया कि यदि पंचायतें अनियमित रही तो वे अपने ही भार से टूट जाएगीं। गाँवों के कार्यकर्त्ताओं के लिए पथ–निर्देशन के रूप में कुछ निर्देशन के रूप में उन्होनें कुछ नियम बनाये जो निम्न प्रकार हैं–

1• कोई भी पंचायत उस समय तक स्थापित नहीं की जानी चाहिए, जबतक कि प्रान्तीय काग्रेंस समिति

की लिखित स्वीकृति प्राप्त न हो जाए।

2• डौडी पीटकर गाँवों में एक आम सभा बुलाई जाए और उस सभा में पंचायत का चुनाव किया जाए।

3• तहसील समिति द्वारा इसकी सिफारिश की जानी चाहिए।

4• इसप्रकार की पंचायतों को किसी प्रकार का फौजदारी अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं होना चाहिए।

5• यह दीवानी मामलों पर विचार कर सकती हैं, यदि दोंनों ही पक्ष इस बात पर सहमत हो जाए।

6• किसी को भी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वह सकता अपने मामले पंचायत के सामने ही लाये।

7• किसी भी पंचायत को जुर्माना करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एकमात्र सत्ता इसका नैतिक स्तर हैं।

8• कुछ समय के लिए कोई भी सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का बहिष्कार नहीं होना चाहिए।

9• प्रत्येक पंचायत को जिन विषयों से सम्बध रखना चाहिए वे हैं –उस गाँवों के लड़के –लडकियों की शिक्षा, सफाई, मेडिकल आवश्यकताओं, गाँवों के कुओं तथा तालाबों की सफाई, अछूतों का उधार आदि।

10• यदि कोई पंचायत इन कार्यो को संभालनें में असफल रहती है या गाँव वालों की उसे शुभकामना नही मिल पाती अथवा स्वयं ही आलोंचना का पा़त्र बनती हैं, तो उस पंचायत को खत्म करके उसके स्थान पर दूसरी का चुनाव कराना चाहिए। [3]

गाँधींजी ने बताया हैं कि जुर्माना करके अथवा सामाजिक बहिष्कार करने की अयोग्यता प्रारंभिक समय की आवश्यकता है। सामाजिक बहिष्कार एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो कि अयोग्य एवं बुद्धिहीन लोगों के हाथों में पड़ जाने से अनेक हानिकारक परिणामों का जनक बनता हैं। जुर्माना करने की व्यवस्था भी एक प्रकार से उस लक्ष्य को समाप्त कर देगी जिसके लिए पंचायतों की स्थापना की गई हैं। जहाँ कहीं भी पंचायतें लोकप्रिय हो गयी हैं, तथा उसने रचानात्मक कार्य किए हैं वहाँ उसके निर्णयों के पीछे एक नैतिक शक्ति कार्य करेगी और वे प्रायः मान लिए जाएगें। यह एक ऐसी मान्यता हैं। जिसे कोई भी मान सकता है और किसी को वचिंत नहीं रख जा सकता। गाँधींजी यह मानतें थे कि प्रजातंत्र की जड़ें, पंचायत – व्यावस्था में हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि इसमें पर्याप्त सत्यता है कि काग्रेंस ने प्रजातंत्र की परम्परायें ब्रिटेन से ली हैं। इसके लिए कोई भी कांग्रेसी अस्वीकार नहीं करता किन्तु प्रजातंत्र की जड़ें पंचायत–व्यवस्था में निहित है,उनका कहना हैं कि आत्मनिर्भर एवं स्वशासित गाँव ही भारत में लोक प्रशासन की मूल इकाई होना चाहिए। यदि गाँवों का आकार छोटा हो तो कई गाँवों मिलकर के प्रशासन की अनेक इकाई बना सकते हैं। गाँव के स्तर पर पंचायतों का संगठन एवं कार्य होना चाहिए।

गाँधींजी ने गाँव स्तर पर पंचायतों के संगठन एवं कार्यों की विस्तृत योजना प्रस्तुत की थी। उसी योजना के तहत् गाँधींजी ने पंचायतों के संगठन के बारे में सुझाव दिया कि प्रत्येक गाँव के व्यस्क मतदाता साधारणतः पाँच सदस्यों की एक पंचायत का चुनाव करेगें। जहाँ तक बडें गाँवों का सम्बध हैं वहाँ उनकी संख्या सात से ग्यारह तक हो सकती है। पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष अथवा सरपंच का चुनाव किया जायेगा। पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष अथवा सरपंच का चुनाव किया जायेगा।यदि यह सर्वसम्मति से संभव न हो सके तो गाँव के सभी वयस्क मतदाता पंचायत के सदस्यों में से ही प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव करेंगें। पंचायत का कार्यकाल साधारण रूप से ही प्रत्यक्ष रूप से तीन वर्ष का होगा तथा कोई भी पंचायत सदस्य दूसरे या तीसरे कार्यकाल के लिए भी पुनर्निर्वाचित हो सकता है। किन्तु इससे अधिक बार के लिए चुनाव संभव नही हैं। यदि पंचायत का कोई भी सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही मतदाताओं का मत खो देता हैं तो उसे 75 प्रतिशत बहुमत की माँग पर बुलाया जा सकता है। गाँव पंचायत को इस बात का पूरा अधिकार होगा कि वह चौकीदार,पटवारी ,पुलिस अधिकारी आदि ग्राम सेवकों को नियुक्त तथा पद विमुक्त कर सके। पंचायत के निर्णय विशेष रूप से उन विषयों में जो कि अल्पसंख्यकों को प्रभावित कर रहे हैं, सर्वसम्मति से लिए जाएगें।

गाँधींजी का पंचायतों के कार्यकलाप के बारे में विचार था कि जब हम गाँवों को अधिक से अधिक संभव स्वायत्तता देना चाहेगें तो हमारा यह प्रयास होगा कि पंचायत के कार्यों को अधिक से अधिक विस्तृत किया जाए। पंचायत को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, एवं जीवन के अन्य पहलुओं में पर्याप्त शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। अतः पंचायतों के कार्य इस प्रकार होगें–

1• प्राथमिक अथवा आधार स्कूल का संचालन, जहाँ पर कि थोड़ीं बहुत उत्पादन उद्योग की शिक्षा का योग कर दिया जाए। पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना– पुस्ताकलय की पुस्तकें शिक्षाप्रद होनी चाहिए। जो कि गाँव के आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनैतिक जीवन से सीधा सम्बध रखती हो। वयस्कों के लिए एक रात्रिकालीन स्कूल का संचालन किया जाए।

2• मनोरंजन की दृष्टि से अनेक अखाड़ा, व्यायाम शालाएँ व खेल का मैदान बनवायें तथा स्वदेशी खेल कूद को प्रोत्साहन दें। समय–समय पर कला, उद्योगों की प्रदर्शनियों को प्रोत्साहन दें। सभी समाजों व वर्गों के मेले व त्योहारों को मनाने के लिए सुविधा प्रदान करें। सामाजिक मेलों का संगठन करें, भजन तथा गीतों के कार्यक्रम रखें तथा संयुक्त नाच–गाने तथा रंगमंच को प्रोत्साहन दें।

3• सुरक्षा की दृष्टि से यह कुछ गाँव रक्षक नियुक्त करें, जो कि चारों डाकुओं और जगंली–जानवरों से गाँवों की रक्षा कर सके। सभी ग्रामवासियों को आत्म–रक्षा, सत्याग्रह और अंहिसात्मक विरोध आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

4• कृषि के क्षेत्र में पंचायतों को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस गाँव में प्रत्येक कृषि भूमि के किराये का मूल्यांकन करना चाहिए। सहकारी दुकानों के माध्यम से अच्छे बीज उपलब्ध कराए जाए। जहाँ तक संभव हो सके सारा खाद्यान्न गाँव में ही पैदा कराने की व्यवस्था करें। व्यापारिक फसलों के उत्पादन को निरूत्साहित किया जाए। कर्जों की आवश्यक छानबीन,ब्याज की दर निश्चित हो तथा उसको विनियमित किया जाए। जहाँ संभव हो सके वहाँ सहकारी क्रेडिट बैंकों की स्थापना की जाए तथा भूमि को बंजर होने से बचाया जाए।

5• औधौगिक दृष्टि से ग्राम –पंचायतों को खादी के उत्पादन एवं खपत के लिए संगठन बनाने चाहिए। सहकारी आधार पर अन्य ग्रामीण उद्योंगों को संगठित करना चाहिए। एक सहकारी दुग्ध शाला खोलनी चाहिए। भैंसों के स्थान पर गायों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तथा पशुओं की खाल का उपयोग करने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए।

6• व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से कृषि संम्बन्धी एवं औधौगिक उत्पादन के लिए सहकारी भण्डार खोले जाने चाहिए। सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलने चाहिए। केवल उन्हीं चीजों का आयात की जानी चाहिए

जो कि गाँवों में पैदा नहीं की जा सकती है और उन चीजों का निर्यात किया जाए जो कि आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होती है। इससे आवश्यक कार्यों के लिए कलाकारों को सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

7• सफाई एवं मेडिकल सुविधा – गाँव में सफाई का प्रंबध करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जनता की ज्यादतियों को रोककर महामारी को फैलने से बचाना चाहिए। पीने के पानी का पर्याप्त प्रबंध किया जाना चाहिए। गाँव का एक अस्पताल हो तथा शिशु चिकित्सालय एवं प्रसुतिगृह हो और उनके द्वारा क्षेत्र के निवासियों को पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाए।

8• गाँव के रहने वाले लोगों को सस्ता न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए पंचायत को विस्तृत कानूनी शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। उनको दीवानी एवं फौजदारी दोनों ही क्षेत्रों में अधिकार होने चाहिए। निःशुल्क कानूनी सहायता एवं आवश्यक सूचना का प्रबंध किया जाना चाहिए।

9• धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के अवसर पर गाँव के से उचित दान वसूल करना तथा व्यय के सही लेखा–जोखा रखे जा रहे हैं अथवा नहीं।

10• ग्राम पंचायत को न्याय की स्थापना का कार्य सौपा जायेगा। इससे अलग से न्याय–पंचायतों की कोई आवश्यकता नहीं है। गाँव में रहने वाले लोग गरीब होते है। इसलिए उनको गाँवों से बाहर जाने की जरूरत नहीं ही होनी चाहिए।

11• यदि एक ग्रामीण न्यायालय के पीछे एक ग्रामीण महीनों तक कस्बों में रहें तथा अपना अमूल्य धन एवं समय नष्ट करता रहा तो इसके परिणाम स्वरूप वह कर्जदार ही पैदा होगा और कर्जदार के रूप में ही प्राण त्याग देगा। यदि यह व्यवस्था होगी तो ग्रामीणों को सभी आवश्यक गवाह गाँव में ही प्राप्त हो जाएगे और वह वकीलों के शोषणजनक व्यवहार की चपेट में न आएगा। जब कभी मामले उपस्थित हो जाए तो उनकी जटिलता से उलझनों के लिए जिला या तालुकें का उप–न्यायाधीश भी एक निर्देशक एवं सहायक का काम कर सकता है। गाँव पंचायत का अध्यक्ष तालुका पंचायत का सदस्य होना चाहिए तथा इसके अध्यक्ष को जिला परिषद का सदस्य होना चाहिए। उसे नागरिकों के साथ निकट का एवं भाई–चारे का व्यवहार करना चाहिए।जबकभी आवश्यकता हो उन्हें कानून से संबंधित जानकारी प्रदान करनी चाहिए।इस व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए न्याय में कई विशेषताएँ होती हैं।वह सस्ता,कम समय व अधिक न्यायपूर्ण होता है क्योकि संपूर्ण घटना गाँव वालों कों विस्तार से ज्ञात होती है धोखे की संभावना कम होती हैं। [4]

भारतीय आदर्श के अुनरूप आत्मनिर्भर, स्वायतशासी, अहिंसक एवं सादगीपूर्ण ग्रामीण समाज की सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। गॉधीजी के पंचायती राज में विकेंन्द्रीकरण का यह अर्थ नहीं कि भारत के गॉवों में पारस्परिक संबंध नहीं होगा। इसका अर्थ है कि संबंध स्वैच्छा पर आधारित होगा। केंद्रीय सत्ता बल प्रयोग के स्थान पर नैतिक और अहिंसक साधनों पर निर्भर रहेगी। विकेन्द्रीकरण का मूलभूत सिद्धांत पृथककारी निराकरणशील समाज, विरोधी व्यक्तिवाद नहीं, वरन् स्वैच्छा पर आधारित सहयोग है। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण केन्द्रीय सत्ता के नैतिक पथ–प्रदर्शन के विरूद्ध नहीं है, वह तो राजनैतिक व आर्थिक क्षेत्र में केन्द्रीय कारण के दुष्परिणाम के विरूद्ध है जो व्यक्ति के विकास में अत्यन्त बाधक होते है। राज्य शाक्तियों का केंन्द्रीकरण स्थानीय स्वशासन की मांग को कम कर देते हैं। ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति पर अनेक प्रकार के अंकुश और प्रतिबंध लगाकर उसके मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की संभावनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए राजनैतिक विकेन्द्रीकरण के अंतर्गत ग्राम–पंचायतों को स्वशासन के समस्त अधिकार दे दिए जाने चाहिए। इनके मामलों में राष्ट्रीय व प्रांतीय सरकारों का हस्तक्षेप व नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्हें राजनितिक दृष्टि से स्वशासित तथा आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाया जाना चाहिए। गॉधीजी ने हिन्द–स्वराज्य में अपने आदर्श ग्राम–स्वराज्य का चित्रॉकन करते हुए बताया है कि उसमें प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य होगा। वह अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर नही होगा। वह अपने खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रूई उत्पन्न करेगा। पशुओं के पर्याप्त गोचर भूमि होगी। उसमें अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन, पाठशाला, जलाशय और कूप आदि होंगे। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी और प्रत्येक कार्य सहाकारिता के आधार पर किया जाएगा। अपराधियों के लिए दण्ड के स्थान पर अहिंसात्मक सत्याग्रह और असहयोग से काम किया जाएगा। उस ग्राम का शासन पांच व्यक्तियों की एक पंचायत द्वारा संचानित किया जाएगा। इन पंचो के लिए न्यूनतम योग्यताएं रखना आवश्यक होगा। इनका निर्वाचन प्रतिवर्ष सभी वयस्क स्त्री–पुरूषों द्वारा होगा। पंचायत ही ग्राम की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि सभी कुछ होगी। इस व्यवस्था का मूल आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। [5]

आदर्श या विकेन्द्रीकरण समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है, जिसके प्रत्येक क्षेत्र में समानता पायी जाती है। केन्द्रीकरण से समाज के थोड़े से शक्तिशाली लोगों के हाथ मे राज्य की सारी शक्ति एकत्रित हो जाती है जिससे उसका दुरूपयोग होने की संभावना अधिक होती हैं और सृजनात्मक नैतिक प्रयास में विघन डालता है। गॉधीजी ने सन् 1942 में लिया था कि "केन्द्रीकरण समाज की अहिसंक व्यवस्था से मेल नहीं खाता।" [6] इसी संदर्भ मे 1939 में उन्होंने कहा था, मेरा सुझाव है कि यदि भारत का अहिंसक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत बातों का विकेन्द्रीकरण करना होगा। केन्द्रीयकरण का संचालन और उसकी रक्षा बिना पर्याप्त शक्ति के नहीं हों सकती। [7] केन्द्रीयकरण उपक्रम, साधनशीलता और सृजनशीलता को हानि पहुॅचाता है, जिससे स्वशासन के अवसर और अन्याय के प्रतिरोधक की क्षमता कम हो जाती है तथा सामाजिक संबंध और नैतिक संवेदनशीलता का हास हो जाता है। इसलिए कोई भी जिस परिणाम में सत्ता को केंन्द्रीकरण करता हैं उसी परिणाम में वह अजनतंत्रवादी होता जाता है। विकेन्द्रीकरण के विषय में गॉधीजी अपने विचार व्यक्त करते हैं, आप अंहिसा का निर्माण बड़ी मिलों (केंन्द्रीय उत्पादन) की सभ्यता पर नहीं कर सकते; किन्तु उसका निर्माण स्वावलंबी गॉवों के आधार पर हो सकता है। [8] गॉधीजी के अपरिग्रह और स्वदेशी के सिद्धांत से विशेष रूप से उनकी विकेन्द्रीकरण की धारणा का स्वरूप प्रतिलक्षित होता है। उपरिग्रह का अर्थ है स्वेच्छा की निर्धनता। स्वेदशी के सिद्धांत के अनुसार, मनुष्य को देश और काल के दृष्टिकोण से दूरवर्ती कर्तव्यों की अपेक्षा निकट के कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। इसका तात्पर्य, मनुष्य की प्रत्यक्ष सेवा के क्षेत्र को जानना, प्रेम करना और सेवा करने की क्षमता से है। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम अपने शासन, उत्पादन और वितरण आदि का स्वंय स्वामी होगा। आर्थिक क्षेत्र में लघु कुटीर उद्योगों जैसे – खादी, गुड़, तेल–पानी आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था बेरोजगारी उन्मूलक, साम्राज्यवादी, उवनिवेशवाद, शोषण और असमनता आदि की विरोधी होगी। उसमें रेलों, मशीनों, कारखानों आदि का कोई स्थान नहीं होगा। जीवन को आधिक से अधिक सरल और सादा बनाने का प्रयास किया जाएगा। मशीनों, रेलों, आदि का प्रयोग उसी अवस्था में किया जा सकेगा, यदि वे औद्योगिक व्यवस्था के दुष्परिणामों को उत्पन्न न करें।

आदर्श जनतंत्र ग्रामों में रहने वाली जनतंत्रवादी और लगभग स्वावलम्बी जनता सत्याग्रही समुदायों का संघ होगा। गॉधीजी के शब्दों में, "अहिंसक समाज, ग्रामों में बसे हुए ऐसे समुदायों का ही हो सकता हैं, जिनमें स्वेच्छा का सहयोग सम्मानपूर्ण और शांतिमय जीवन की शर्त हैं।" [9] संघ और समुदायों का संगठन स्वेच्छा से दिए गए इस सहयोग के आधार पर होगा। गॉधीजी के लेखों में हमको आदर्श ग्राम समुदायों का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। प्रत्येक गांव एक पूर्ण शाक्तिशाली पंचायत या जनंतत्र होगा। इसलिए निष्कर्ष यह कि प्रत्येक ग्राम स्वावलम्बी होगा और इस योग्य होगा कि वह अपने मामलों का प्रबंध यहां तक कर सके कि संपूर्ण संसार से अपनी रक्षा भी स्वंय कर ले। बाहय आक्रमण के विरूद्ध अपनी रक्षा करने के प्रयत्न में उसे मारने की शिक्षा मिलेगी और वह इसके लिए तैयार रहेगा। इस प्रकार, अतं में व्यक्ति ही इकाई है। इससे पड़ोसियों या संसार की स्वेच्छा से दी हुई सहायता का और उन पर निर्भरता का निराकरण नहीं होता।किन्तु वह व्यक्तियों का स्वेच्छा का संबंध पारस्परिक होगा। इस प्रकार का समाज अवश्य ही उच्च रूप से विकसित होता है और उसमें प्रत्येक स्त्री और पुरूष जानता है कि उसे किस बात की आवश्यकता है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करना नहीं चाहता जिसे दूसरे उतना ही परिश्रम करकें नहीं पा सकते। [10] अनेकों ग्रामों के इस संघ में सामुदायिक जीवन का केंद्र व्यक्ति होगा। वह सदा ग्राम के प्रति समर्पित रहेगा तथा ग्राम, ग्राम–समुदायों के लिए मरने को तैयार रहेगा। इस तरह, संघ व्यक्तियों से विनिर्मित एक समग्रता होगी। इस समग्रता की बाहय

परिधि अपनी शक्ति का उपयोग आन्तरिक–वृत्ति को दबाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि वही परिधि के अन्दर सबको शक्ति देगी और स्वंय अपनी शक्ति केंद्र से प्राप्त करेगी। यह वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित पूर्ण जनतंत्र है। व्यक्ति अपने शासन का स्वंय निर्माता है। वह और उसका ग्राम संसार की शक्ति की अवज्ञा कर सकते हैं, क्योकि प्रत्येक ग्रामवासी के जीवन का विनियमन इस कानून से होता है कि वह अपने और अपने ग्राम के सम्मान की रक्षा में मृत्यु सह लेगा।

अपरिग्रह और शारीरिक श्रम के आदर्शों पर प्रतिष्ठित समाज कृषि–प्रधान होगा और वह ग्रामीण सभ्यता को अपनाएगा। इससे आर्थिक जीवन में शोषण और मालिक–नौकर के अप्राकृतिक संबंध का अंत हो जाएगा तथा उत्पादन ग्रामीण उद्योग धंधों के द्वारा होगा। गॉधीजी सब तरह की मशीनों के विरूद्ध नहीं लेकिन लाभ के लिए चलाए गए बड़े–बड़े मील व कारखानों के साथ साथ सत्याग्रही सभ्यता का विकास असंभव है। बड़े पैमाने पर उत्पादन आर्थिक शक्ति को केन्द्रित करता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि बड़े बजारों और बहुत कच्चे माल पर नियंत्रण। दूसरे शब्दों में, बड़े बड़े कारखानों का अर्थ है शोषण और हिंसा। इसलिए अहिंसक सभ्यता का विकास स्वावलम्बी गांवों के आधार पर ही हो सकता है। किन्तु गांधीजी ऐसे सादे औजारों और मशीनों का स्वागत करते थे जो बिना बेकारी बढाए लाखों ग्रामीणों के बोझ को हल्का करते है। और जिनको गांवों के निवासी स्वंय बना सकते और प्रयोग में ला सकते है।[11] गॉधीजी का मत था कि खेती स्वेच्छा पर आधारित सहकारी पद्धति से होनी चाहिए। उनकी सहकारिता की धारणा यह थी कि जमीन किसानों की सहकारी स्वामित्व में हो और जोताई खेती सहकारी रीति से हो। इसमें श्रम पूँजी और औजारों आदि की बचत होगी। भूमि के स्वामी सहकारिता से कार्य करेगें और पूँजी, औजार, पशु, बीज इत्यादि सहकारी स्वामी होंगे। उनकी धारणा कि सहकारी कृषि देश का रूप परिवर्तित कर देगी। और उनके बीच से निर्धनता और आलस्य दूर कर देगी।[12] आदर्श समाज में न तो यातायात के भारी साधन होंगे, न वकील और कचहरिया, न आजकल के से डॉक्टर और दवाइयॉ और न बड़े नगर। गॉधीजी की राय में हिन्दुस्तान की मुक्ति इसी में है कि उसने जो कुछ पिछले पचास साल में सीखा है उसे भुला दे। रेल–तार, अस्पताल, वकील, डॉक्टर आदि को जाना ही होगा। जब जीवन सरल और प्राकृतिक होगा, जब हर एक खेती और धरेलु धंधों में मेहनत करेगा और जब आजकल की जवाबदारी, होड़ और अनिश्चित जीवन की चिन्ता दूर हो चुकी होगी, तब बहुत सी बीमारियॉ रह भी जाएगी। उनके इलाज के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के तरीके होंगे। गॉधीजी की राय है कि योग की क्रियाएॅ भी नैतिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इन डॉक्टरों का न रहना, जो आसान इलाज के भुलावे में डालकर मनुष्य का आत्म–निरोध की जगह संगमहीनता की स्वच्छन्दिता का पाठ पढाते हैं, समाज के लिए बहुत अहितकार होगा।

इस प्रकार यह व्यवस्था की गई थी कि उच्च पंचायतें अपनी अधीनस्थ पंचायतों को परामर्श दें, पूर्ण निर्देशन करें व ग्राम पंचायतों के कार्यो को पर्यवेक्षण एवं समन्वय करें। इससे लोकसेवा में वृद्धि एवं प्रशासकीय कार्यकुशलता की दृष्टि से यह सब करना उपयोगी रहेगा। महात्मा गॉधी ने जिस अहिंसवादी राज्य का वर्णन किया है वहॉ इकाइॅया द्वारा केन्द्र पर नियंत्रण रखा जाएगा– इसका उल्टा नहीं होगा। महात्मा गॉधी का मत था कि प्रजातंत्र केन्द्र के बीस व्यक्तियों द्वारा प्रस्फुटित करने के लिए यह जरूरी है कि उसे नीचे से उठाया जाए, अर्थात् गॉवों में इसके बीजों को बोया और अंकुरित कराया जाए। भारत के सच्चे प्रजातंत्र की इकाई गॉव ही हो सकते है। यदि अनेक गॉव पंचायती राज चाहता है तो कोई भी उसे ऐसा

करने से रोक नहीं सकता। प्रजातंत्र तो उसके सभी सदस्यों का सक्रिय सहयोग चाहता है और इसी में उसके फल प्राप्त हो सकते हैं।

गॉधीजी ने पंचायती राज के रूप में सत्ता की विकेन्द्रीकरण की अवधारणा रखी। यह विकेन्द्रीकरण की अवधारणा, आत्मनिर्भर, तकनीकी दृष्टि से स्थिर व सामुदायिक ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। यह इस ग्रामीण जीवन की विशेषता होगी, शांति और संतोष जो अहिंसा के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। अतः उन्होंने विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया। भारतवर्ष में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की योजना के सम्बंध में गॉधीजी के अतिरिक्त कई चिन्तकों ने विचार प्रकट किए थे। उनमें मानवेन्द्रनाथ राय के दृष्टिकोण एवं विचार उल्लेखनीय हैं। राय ने स्वच्छन्द समाज की समस्या के सम्बंध में विचार प्रकट किए जिसमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण की समस्या भी सम्मिलित थी। वे औधोगिक सभ्यता के विराधी नहीं थे और वे तकनीकी दृष्टि से मंद एवं स्वयं में गॉव के विचार को भी स्वीकार नहीं करते थे। परन्तु उन्होंने चार स्तरीय विकेन्द्रीयकृत सरकार की पद्धति का सुझाव दिया था जिसमें सबसे निचले स्तर पर गॉव थे, मध्य स्तर पर जिला एवं प्रान्तीय सरकार तथा सबसे उच्च स्तर पर केन्द्र सरकार थी। जयप्रकाश नारायण ने जो एक कट्टर गॉधीवादी थे और मूलतः गॉधीवादी स्वराज्य का समर्थन किया था। अतंर यह था कि जयप्रकाश नारायण की सत्ता विकेन्द्रीकरण योजना में ग्राम एवं जिला स्तर की सरकारों के मध्य ब्लाक था। जिसमें उप जिला सरकारें सम्मिलित थीं।

परन्तु गॉधीजी का इस दिशा में सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने पंचायत राज के रूप में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की अवधारणा रखी। यह विकेन्द्रीकरण की अवधारणा, आत्मनिर्भर, तकनीकी दृष्टि से स्थिर व सामुदायिक ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। यह इस ग्रामीण जीवन की विशेषता होगी, शांति और संतोष जो अहिंसा के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। अतः गॉधीजी ने जिस शक्ति के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया वह विकसित पाश्चात्य जगत् के राष्टों की विकेन्द्रीयकरण की योजना के विपरीत था।उनके आर्दशों का विकेन्द्रीयकृत शासन प्राचीन भारतीय ग्रामीण समुदायों के अनुकुल था। ऐसी पंचायती राज व ग्राम स्वराज की कल्पना की थी जिसके आधारभूत सिद्धांत होंगे– समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय। ऐसे ग्राम स्वराज्य में न तो औद्योगिकरण का कोई स्थान होगा और न ही शोषण की संभावना होगी। यह ग्राम स्वराज्य शोषण विहीन व समतावादी होगा जो एक स्वच्छन्द ग्राम की कल्पना को साकार करेगा। गॉधीजी ने उस ग्राम–स्वराज्य के कार्य व संगठन पद्धति पर वृह्त प्रकाश डाला। वे यह मानते थे कि उनके आदर्शों का ग्राम–स्वराज्य सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण होगा।

निष्कर्ष :– महात्मा गाँधी आधुनिक भारत के उन चिन्तकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्होंने भारत वर्ष की बौद्दिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं से प्रेरणा ली और उन्हें समकालीन वास्तविकताओं से जोड़ने का प्रयास किया। यही कारण`है कि गाँधीं जी के राजनीतिक चितंन में भारत के प्राचीन आर्दश एवं पाश्चात्य जगत् के अराजकतावादी दर्शन का समन्वय दृष्टिगत् होता हैं। गॉधीजी ने पंचायती राज के रूप में सत्ता की विकेन्द्रीकरण की अवधारणा रखी। यह विकेन्द्रीकरण की अवधारणा, आत्मनिर्भर, तकनीकी दृष्टि से स्थिर व सामुदायिक ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। यह इस ग्रामीण जीवन की विशेषता होगी, शांति और संतोष जो अहिंसा के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। अतः उन्होंने विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया।

संदर्भ :–

1•अग्निहोत्री,सीमाः "गाँधी और पंचायतींराज", लघु शोध–प्रंबध, इतिहास, डा हरीसिंह गौर विश्वविधालय, सागर, म•प्र• 1995–96 पृ•48।

2• वही पृ•49।

3• शर्मा, हरिशचन्द्र :भारत में स्थानीय प्रशासन, जयपुर, 1970–71, पृ•93–94।

4• अग्निहोत्री,सीमाः "गाँधी और पंचायतींराज",लघु शोध–प्रंबध,इतिहास,डा हरीसिंह गौर विश्वविधालय, सागर, म•प्र•, 1995–96, पृ•56–59।

5• वही पृ•41।

6• हरिजन ,19–1–52, पृ• 5।

7• वही, 30–12–39 पृ• 391।

8• वही, 4–11–39 पृ• 331।

9• हरिजन, 13–1–40 पृ• 411।

10• वही, 28–7–46 पृ• 236।

11•यंग इडिया,भाग2,पृ•713और 797,हरिजन 29–8–36,पृ•226 15–9–46पृ•316।

12• हरिजन,4–8–46,पृ• 252।

सहायक ग्रंथः–

13• हरिजन 9–3–47।

14• राय एम•एन•:पालिठिक्स,पार्टीज एण्ड पावर,कलकत्ता,1960।

15• जयप्रकाश नारायणः स्वराज्य फार दि पीपुल,वाराणसी 1961।

16• हरिजन, 26–7–42, पृ•238।

सन् 1946 में गाँधी जी ने लिखा था कि उनकी धारणा की स्वावलम्बी आर्दश ग्राम इकाई एक हजार व्यक्तियों की होगी।

17• बोस, एन• के• : "स्टडीज इन गाँधींइज्म"। उद्वत, धवन,गोपीनाथ :तत्वदर्शन,सस्ता साहित्य मण्डल,नयी दिल्ली 1951।

18• हरिजन,:13–2–40, पृ• 411।

19• महात्मा गाँधीं का भाषण, उद्धृत – भट्टाचार्य, डा०प्रभात कुमारः गाँधी दर्शन,जयपुर, 1972–73, पृ•120–21।

20• राय, एम.एन : पालिटिक्स,पार्टीज एण्ड पावर, कलकत्ता, 1960।

21• नारायण,जयप्रकाशः स्वराज्य फार दि पीपुल, वाराणसी, 1961।

22• गाँधीं,मोहनदासः मेरे सपनों का भारत,वाराणसी 1989।

23• धवन,गोपीनाथ : सर्वोदय–तत्वदर्शन, सस्ता साहित्य मण्डल,1951 ,नयीदिल्ली।